न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (शीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

03.07.2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या–7 ता 9 के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहे जाने बाबत पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया। वकील प्रार्थीगण ने फर्द दस्तावेजात किता–5 पेश किए व वकील अप्रार्थीगण ने फर्द दस्तावेजात किता– 13 पेश किए, जो शामिल पत्रावली किए गए। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी जाने का निवेदन किया, वकील अप्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 09.07.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

09.07.2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 29.07.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

29.07.2025 पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को न्यायाहित में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:05 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीरीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
120/2024	2024/244	01.08.2024	29.07.2025

उनवान प्रकरण

1. गणपत पुत्र बोदू आयु 62 साल
2. जयपाल पुत्र बोदू आयु 55 साल
3. दर्शन पुत्र स्व. बाबूलाल आयु 30 साल

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राजस्थाना

——प्रार्थीगण

बनाम

1. झाबरमल पुत्र प्रहलादसहाय आयु 55 साल
2. मदनलाल पुत्र प्रहलादसहाय आयु 40 सला
3. महेश पुत्र प्रहलादसहाय आयु 52 साल
4. विनोदी देवी पुत्री प्रहालादसहाय आयु 42 साल
5. सुर्ज्ञानी देवी पुत्र प्रहलादसहाय आयु 45 साल
6. सीताराम पुत्र प्रहलादसहाय आयु 48 साल

   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
7. उप पंजियक अजीतगढ
8. पटवारी, पटवार हल्का दिवराला
9. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर सीकर राज0

——अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थितः–
श्री सरदार सिंह चोधरी, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।
श्री भंवर सिंह चोधरी , एड0 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 अभिभाषक।

प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञाअंतर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3976 रकबा 4.4600 हैक्टर तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 1122 क्षेत्रफल 6 बीघा थे जिसकी खातेदारी वर्तमान भू अभिलेख जमाबंदी में अकेले अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम गलत रूप से दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 व अप्रार्थीगण आपस में एक ही परिवार खानदान से है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार कृषि भूमियां पक्षकारान प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 एवं अप्रार्थीगण की पैत्रिक कृषि भूमियां है जिसमें प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 का सजरा खानदान के अनुसार 1/3 हिस्सा पैत्रिक हिस्सा है एवं प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 अपने पैत्रिक हिस्सा 1/3 की भूमि पर मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 से पूर्व इनके पिता दादा ससुर बोदू पुत्र रूघाराम काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि का काबिज काश्तकार पूर्व में प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 का बुजुर्ग सवाराम [illegible] रहा था जिसके स्थान पर खातेदारी गोमाराम अकेले के नाम दर्ज हो गया था एवं [illegible] अविवाहित फौत हो गया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

एवं उसके कोई संतान नही थी परन्तु उक्त भूमि की खातेदारी मुरली पुत्र रूघा जो ना औलाद था उसके नाम दर्ज हो गयी थी एवं मुरली पुत्र रूघा के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का पिता प्रहलादसहाय जो काफी चालाक व षडयन्त्रकारी किश्म का व्यक्ति था उसने अपने नाम कतई गलत तरीके से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर दर्ज करवा ली एवं प्रहलादसहाय की मृत्युउपरान्त विरासत के आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने अपने नाम गलत रूप से दर्ज करवा ली गयी है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 के कब्जा काश्त में मजाहमत करने व बेदखल करने व दिगर से करवाने व भूमियो को दिगर को किसी प्राकर से विकय रहन अन्तरण करने कोई अधिकार किसी किश्म का नही है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता दौराने सुनवाई दावा तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फराया जावे कि तन ग्रम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित वादग्रस्त पैत्रिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 3976 रकबा 1.4600 हैक्टर को दिगर को किसी प्रकार से विकय रहन अन्तरण नही करे ना ही दिगर का बलात कब्जा करवाये ना ही कृषि भूमि को बिना भू रूपान्तरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करे ना ही अवैध निर्माण करे ना ही प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 को उनकी पैत्रिक हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करे तथा अप्रार्थी सेख्या 7 ता 9 को भी पाबंद फरायाया जावे कि वादग्रस्त भूमि का विकय, रहन, अन्तरण लेख तस्दीक नही करे ना ही राजस्व परिवर्तन करे बल्कि मौके व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु प्रतिबंधित फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 6 की ओर से श्री भंवर सिंह चौधरी एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की, शेष अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहने बाबत वकील अप्रार्थीगण ने पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर दिये जाने से वकील प्रार्थीगण ने बहस सुने जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया है कि कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 3976 रकबा 4.4600 हैक्टर तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान जिसके पुराने खसरा नम्बर 1122 क्षेत्रफल 6 बीघा थे जिसकी खातेदारी वर्तमान भू अभिलेख जमाबंदी में अकेले अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम गलत रूप से दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 व अप्रार्थीगण आपस में एक ही परिवार खानदान से है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार कृषि भूमियां पक्षकारान प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 एवं अप्रार्थीगण की पैत्रिक कृषि भूमियां है जिसमें प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 का सजरा खानदान के अनुसार 1/3 हिस्सा है एवं प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 अपना पैत्रिक हिस्सा 1/3 की भूमि पर मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 से पूर्व इनके पिता दादा ससुर बोदू पुत्र रूघाराम काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि का काबिज काश्तकार पूर्व में प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 का बुजुर्ग सेवाराम चला आ रहा था जिसके स्थान पर खातेदारी गोमाराम अकेले के नाम दर्ज हो गयी थी एवं गोमा अविवाहित फौत हो गया था एवं उसके कोई संतान नही थी परन्तु उक्त भूमि की खातेदारी मुरली पुत्र रूघा जो ना औलाद था उसके नाम दर्ज हो गयी थी एवं मुरली पुत्र रूघा के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का पिता प्रहलादसहाय जो काफी चालाक व षडयन्त्रकारी किश्म का व्यक्ति था उसने अपने नाम कतई गलत तरीके से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर दर्ज करवा ली एवं प्रहलादसहाय की मृत्युउपरान्त विरासत के आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने अपने नाम गलत रूप से दर्ज करवा ली गयी है। वकील प्रार्थीगण ने न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2024 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को दावे के निस्तारण तक कंफर्म किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया है कि दावा व प्रार्थना पत्र गलत व बनावटी तथ्योयुक्त झुंठा पेश किया गया है जो वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुये व पूर्व में न्यायायल में प्रस्तुत किये गये वाद पत्रादि को छुपाते हुये अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को नाजायज हैरान परेशान करने की बदनियति से प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर्चा चकबन्दी सैटिलमेन्ट डिपार्टमेन्ट राजस्थान राज्य अवधि बंदोबस्त संख्या 2012 गोमा वल्द सेवा बलाई के नाम दर्ज है एवं भू प्रबन्ध विभाग ... मुरली ... जाति मेघवंशी के नाम दर्ज है, जो अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के ... पुत्र मूलचन्द उर्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुरलीधर के कुटुम्ब ही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पिता स्वर्गीय प्रहलाद सहाय के दत्तक पिता मूलचन्द उर्फ मुरलीधर अपने जीवन काल में वादग्रस्त भूमि का बिना किसी बाधा के मालिक स्वामी रहा एव उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का पिता प्रहलाद सहाय ही उक्त वादग्रस्त भूमि का मालिक स्वामी रहा है एव उनकी मृत्युउपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 भूमि के मालिक काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। उक्त भूमि में पूर्व से ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पिता प्रहलाद सहाय का ही राजस्व रिकार्ड में नाम इन्द्राज है जो प्रहलाद सहाय के दत्तक पिता मूलचन्द उर्फ मुरलीधर के जीवनकाल में ही उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पिता प्रहलाद सहाय के हक में किये गये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 20.11.1991 व अंतिम वसीयत लेख दिनांक 26.06.1995 के आधार पर उत्तराधिकार में अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के पिता प्रहलाद सहाय के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है एवं वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 खातेदार काश्तकार होकर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि बाबत दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी रामस्वरूप बनाम प्रहलाद सहाय वगैरह दावा मुकदमा नम्बर 423/2014 (बी.टी. 591/17) टी.आई. मुकदमा नम्बर 359/2014 (बी.टी. 621/2017) प्रस्तुत किये गये थे। जो न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2023 को खारिज फरमा दिये गये थे एवं प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादीगण ने पूर्व में प्रस्तुत किये गये उपरोक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को छुपाते हुये गलत व बनावटी तथ्योंयुक्त मनमर्जी के तोड मरोड कर बनावटी तथ्य अंकित करके यह झूठा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय अस्वीकार कर खारिज फरमाया जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2020–2023, 2032–2035 2058–2061, 2062–2065, 2074–2077, नकल मिलान क्षेत्रफल, गोदलेख दिनांक 20.12.1991, वसीयत लेख 26.06.1995, पंचायत मतदाता सूची 1999, नामावली 1988, राजीनामा, पर्चा जमाबंदी सैटलमेन्ट 2012–27, पर्चा भू–प्रबंध विभाग 1983, नामांतकरण शुल्क रसीद ग्राम पंचायत दिवराला 20.11.2002 व 20.10.2003, परिवार राशन कार्ड, पासबुक की प्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3976 रकबा 4.4600 हैक्टर तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार विक्रम सम्वत 2012 से गोमाराम की खातेदारी व कब्जेकाश्त में रही है तत्पश्चात मुरली के नाम रही है अतः उक्त भूमि खातेदारी अधिकार के वक्त से ही गोमाराम की भूमि रही है। इससे यह प्रतित होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण की पैतृक भूमियां नही रही है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। इस स्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी भी खातेदार काश्तकार को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त वादग्रस्त भूमि खातेदारी अधिकार के वक्त से गोमाराम [illegible] से प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है। चूंकि प्रथम दृष्टया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अप्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है तो सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी के पक्ष में ही होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को जो वादग्रस्त जायगा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है को न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से किसी भी सूरत में पाबंद किया जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.08.2024 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:09:05 IST
Reason: SelfAttested